

आज दिनांक 13.6.2018 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी ।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

राजस्व लोक अदालत कैम्प कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

आसीन अधिकारी:- श्री जगदीश प्रसाद बैरवा, आर.ए.एस.

सदमा नम्बर :-68/2010 राजस्व वाद

संपन्न अन्तर्गत धारा 53-54-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

पत्नी प्रेमबाई पुत्री धन्ना गाडरी पत्नी राईमल गाडरी, उम्र बालिग निवासी श्रीनगर (कोदूकोटा) तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ———वादिया

बनाम

श्री काना पिता धन्ना गाडरी, उम्र बालिग निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा

श्री मोहन पिता धन्ना गाडरी, उम्र बालिग निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा

श्री बाली पुत्री धन्ना गाडरी, उम्र बालिग, निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा

श्री कालू पिता नंदा गाडरी, उम्र बालिग निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा

श्री मुख्या पिता नंदा गाडरी, उम्र बालिग निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा

श्री श्रीसी पत्नी नंदा गाडरी, उम्र बालिग निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा

श्री गायथू पिता कालू गाडरी, उम्र बालिग निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा

श्री कालू पिता फतेहलाल गाडरी, उम्र बालिग निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा

श्री लक्ष्मी देवी पत्नी मांगू गाडरी, उम्र बालिग निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

—————प्रतिवादीगण

वादिया की ओर से श्री — एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 से
की ओर से श्री — एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 13.6.
2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि
डिक्री की जाती है कि — और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि
तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा
— को दी जायें।

न्याय हित में प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादिया का वाद पत्र
जारी किया जाकर डिक्री बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के इस आशय की
डिक्री की जाती है कि ग्राम गोकुलपुरा पटवार हल्का कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन व हिस्से अनुसार वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से
2 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उसी अनुसार भूमि
विभाजन व हिस्से अनुसार वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज
जायें।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

श्रीमति प्रेमबाई पुत्री धन्ना गाडरी पत्नि राईमल गाडरी, उम्र बालिग निवासी श्रीनगर (दूकोटा) तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) वादिया के नाम निम्न भूमि हक व हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा		लगान
2871	1 बीघा	09 बिस्वा	-
2872	1 बीघा	14 बिस्वा	-
2876	-	02 बिस्वा	-
2550	-	04 बिस्वा	-
कुल किता 4 रकबा		4 बीघा 09 बिस्वा	लगान -

—आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा अगरपुरा के नाम दर्ज रहेगा।
श्री काना पिता धन्ना गाडरी, उम्र बालिग निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा 38/63 हिस्सा, श्री मोहन पिता धन्ना गाडरी, उम्र बालिग निवासी गोकुलपुरा तहसील व भीलवाड़ा का 25/63 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम निम्न भूमि हक व हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा		लगान
2542	-	03 बिस्वा	-
2548	-	12 बिस्वा	-
2550/1	-	01 बिस्वा	-
2867	1 बीघा	12 बिस्वा	-
3805/2867	-	15 बिस्वा	-
कुल किता 5 रकबा		3 बीघा 03 बिस्वा	लगान -

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के नाम राजस्व में दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(जे.पी. बैरवा)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 13.6.2018 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा